पत्रांक–03 / ना०सु०–22–37 / 2025 / न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।
***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक–

विषयः– वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य के 06 नगर निगम, यथा छपरा, दरभंगा, गया, मुंगेर, पूर्णिया एवं सहरसा क्षेत्रान्तर्गत सी०सी०टी०वी० कैमरा तथा ट्रैफिक सिग्नल का अधिष्ठापन हेतु स्वीकृति योजना के विरूद्ध योजना के कार्यान्वयन हेतु तत्काल रू०330.00 लाख (तीन करोड़ तीस लाख़ रू०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि के व्यय की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

मुख्यमंत्री सुरक्षित सुशासित शहर की परिकल्पना के क्रम में राज्य के विभिन्न नगर निकायों में वासित नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने तथा नागरिकों हेतु एक सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित वातावरण तैयार करने के लिए राज्य के 06 नगर निगमों यथा छपरा, दरभंगा, गया, मुंगेर, पूर्णिया एवं सहरसा में सी०सी०टी०वी० परियोजना तथा ट्रैफिक सिग्नल प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु कुल रू० 48705.81 लाख (चार सौ सतासी करोड़ पाँच लाख इक्यासी हजार रू०) मात्र की लागत की योजना को विभागीय संकल्प ज्ञापांक–504 दिनांक–11.02.2025 द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी बेल्ट्रॉन को नामित करने तथा बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम 131 झ (छ) के आलोक में नामांकन (Nomination) के आधार पर सर्वश्री M/S iHUB Divyasampark @ IIT Roorkee को परियोजना लागत की कुल 1.6 प्रतिशत अर्थात् कुल रू० 779.29296 लाख (सात करोड़ उनासी लाख उनतीस हजार दो सौ छियानवे रू०) मात्र के परामर्शी शुल्क पर परियोजना परामर्शी नामित किया गया है।

2. उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में विभागीय राज्यादेयश सं०–366, दिनांक–06.03.2025 द्वारा तत्काल 27.00 करोड़ (सताईस करोड़ रू०) मात्र आवंटित की गई थी, जिसकी निकासी कतिपय कारणों से कोषागार से नहीं हो पायी थी। वित्तीय वर्ष 2024–25 में विभागीय राज्यादेयश सं०–369, दिनांक–12.11.2025 द्वारा तत्काल रू०1500.00 लाख (पन्द्रह करोड़ रू०) मात्र आवंटित की गई है। कार्यकारी एजेंसी बेल्ट्रॉन के पत्रांक–150 दिनांक–05.01.2026 द्वारा राशि रू० 296.3986441 करोड़ मात्र आवंटित करने का अनुरोध किया गया है, जिसके आलोक में विभागीय राज्यादेश सं०–539, दिनांक–28.03.2026 द्वारा राशि रू०14000.00 लाख (एक सौ चालीस करोड़ रू०) मात्र आवंटित की गई परन्तु राशि की निकासी कतिपय कारणों से कोषागार से नहीं हुआ। उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक–4880, दिनांक–30.04.2026 द्वारा विभागीय राज्यादेश सं०–539, दिनांक–28.03.2026 अन्तर्गत व्यय की स्वीकृति को रद्द किया गया है।

3. उक्त के आलोक में कार्यकारी एजेंसी बेल्ट्रॉन द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में तालिका के स्तम्भ–3 में अंकित योजना के सम्मुख स्तम्भ–5 में अंकित कुल राशि रू० 49485.10296 लाख (चार सौ चौरनबे करोड़ पचासी लाख दस हजार दो सौ छियानबे रू०) मात्र (परामर्शी शुल्क सहित) के प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध योजना के

कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ–7 में अंकित तत्काल राशि रू०330.00 लाख (तीन करोड़ तीस लाख़ रू०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में व्यय की स्वीकृति नागरिक सुविध मद से निम्नवत प्रदान की जाती है :–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजना का नाम	संकल्प सं० / दिनांक	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	अबतक आवंटित राशि	तत्काल स्वीकृत राशि	अवशेष राशि(5–6–7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नगर निगम, छपरा, दरभंगा, गया, मुंगेर, पूर्णिया एवं सहरसा	सी०सी०टी०वी० कैमरा तथा ट्रैफिक सिग्नल का अधिष्ठापन कार्य।	504 / 11.02.2025	49485.10296	1500.00	330.00	47655.10296

4. **उक्त स्वीकृत राशि तत्काल रू०330.00 लाख (तीन करोड़ तीस लाख़ रू०) मात्र निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561, दिनांक–17.04.98, पत्रांक– 236, दिनांक– 09.03.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।** ***उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि बेल्ट्रॉन के PL खाता सं०–PBBPLA009, HoA संख्या–00-8448-00-120-0015-00-01 में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा।*** **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।**

5. उक्त स्वीकृत राशि रू०330.00 लाख (तीन करोड़ तीस लाख़ रू०) मात्र की निकासी मांग संख्या– 48 बजट शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 01–राज्य की राजधानी विकास, लघुशीर्ष–191– नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष–0116–नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें–सहायक अनुदान विपत्र कोड–48–2217011910116, विषय शीर्ष–0116.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पतियों के निर्माण से की जाएगी।

6. ***योजना का कार्यान्वयन विभागीय संकल्प ज्ञापांक–504 दिनांक–11.02.2025 के आलोक में कराया जाएगा।***

7. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम– 431 के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496, दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।

8. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271 (ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।" राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक–63, दिनांक–11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण–पत्र तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

9. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– 03/ना०सु०–22–37/2025 के पृष्ठ सं०–73/टि० पर दिनांक–13.05.26 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–75/टि० पर दिनांक–22.05.26 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–03/ना०सु०–22–37/2025 39 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 26/5/26

प्रतिलिपि:– प्रमंडलीय आयुक्त, संबंधित प्रमंडल/महाप्रबंधक (परियोजना), बेल्ट्रॉन/जिला पदाधिकारी, यथा छपरा, दरभंगा, गया, मुंगेर, पूर्णिया एवं सहरसा/नगर आयुक्त, नगर निगम यथा छपरा, दरभंगा, गया, मुंगेर, पूर्णिया एवं सहरसा/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित नगर निकायों को ई०–मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 02 एवं 06 नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एंव आवाश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।